न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, जिला अलवर राज0

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/107/2025	2025/414	22.12.2025	11.05.2026

1.बलराम पुत्र बदले जाति जाट निवासी ग्राम खेडी तहसील रामगढ जिला अलवर – राज०।

–प्रार्थी

बनाम

1. भूपेन्द्र पुत्र श्री बलराम पौत्र श्री बदले पडपौत्र श्री श्रवण जाति जाट निवासी ग्राम खेडी तहसील रामगढ जिला अलवर – राज० ।
2. श्रीमान उपखण्ड अधिकारी रामगढ जिला अलवर राजस्थान ।

–असल अप्रार्थी

3. मोरध्वज पुत्र बदले जाति जाट निवासी ग्राम खेडी तहसील रामगढ जिला अलवर राजस्थान,
4. बीरम पुत्र बदले. जाति जाट निवासी ग्राम खेडी तहसील रामगढ जिला अलवर राजस्थान,
5. ताराचन्द पुत्र बदले जाति जाट निवासी ग्राम खेडी तहसील रामगढ जिला अलवर राजस्थान,
6. ज्ञानसिंह पुत्र बदले जाति जाट निवासी ग्राम खेडी तहसील रामगढ जिला अलवर राजस्थान,
7. नरेन्द्र पुत्र दीपचन्द जाति जाट निवासी ग्राम खेडी तहसील रामगढ जिला अलवर राजस्थान,
8. उप पंजीयक महोंदय, रामगढ जिला अलवर राजस्थान,
9. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जर्ये तहसीलदार रामगढ जिला अलवर राजस्थान ।

–तरतीवी अप्रार्थीगण

–:: प्रार्थना–पत्र मुंतकिल ::–

उपस्थितः–

01– श्री अशोक कुमार मीना –वकील प्रार्थी

02– श्री निरंजन लाल चौधरी –वकील तरतीवी अप्रार्थीगण सं० 3, 5, 6 व 7

–:निर्णयः–

प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र मुंतकिल प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ के प्रकरण बअनुवान भूपेन्द्र बनाम बलराम व अन्य राजस्व वाद अर्न्तगत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ जिला अलवर में विचाराधीन है जिसमें विगत तारीख पेशी 03–12–2025 नियत थी। प्रा0पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया एवं अधीनस्थ न्यायालय पेश मुंतकिल प्रा0पत्र के संबंध में बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई।

विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा प्रा0पत्र में वर्णित तथ्यों पर दौराने बहस निवेदन किया कि मुकदमा बअनुवान भूपेन्द्र वादी बनाम बलराम व अन्य प्रतिवादीगण राजस्व वाद अर्न्तगत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज बमय तकासमा आराजी बमय हुकम ईम्तनाई दवामी विचाराधीन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ जिला अलवर है जो वाद पत्र तर० अप्रार्थी सं० 1 द्वारा तहत न्यायालय में गलत तथ्यो पर पेश किया है जिसके साथ पेशकर्दा स्थगन प्रार्थना पत्र में तहत न्यायालय द्वारा अंतरिम स्थगन आदेश भी जारी किया हुआ है। तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी तर० अप्रार्थी सं० 2 द्वारा असल अप्रार्थी सं01 की सुविधानुसार उनके व उनके वकील के कहे अनुसार तारीख पेशी नियत की जाती है तथा मिन प्रार्थी के वकील साहब द्वारा निवेदन करने पर भी उनके कहे अनुसार तारीख नियत नही दी जाती है। तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी तर० अप्रार्थी सं 02 प्रार्थी के वकील साहब पर जल्द से जल्द बहस करने का दबाव

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

दिया जाता है तथा मिन प्रार्थी के वकील साहब की बहस सुने बिना ही प्रकरण में जारी अंतरिम स्थगन आदेश को स्थायी करने को उतारू है। तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी असल अप्रार्थी सं० 2 द्वारा उक्त प्रकरण में व्यक्तिगत रूचि रख कर छोटी छोटी तारीख पेशी नियत की जा रही है ओर सारे कायदे कानून ताक पर रख कर जल्दबाजी में प्रकरण का निस्तारण करने का उतारू है। तथा असल अप्रार्थी सं 01 आनन फानन में मुकदमें में कार्यवाही करना चाहते हैं। असल अप्रार्थीगण सं 01 ने तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी असल अप्रार्थी सं 02 पर दबाव बनाया हुआ है तथा तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी असल अप्रार्थी सं 02 के दबाव व प्रभाव में है उक्त प्रकरण में विगत पेशी पर तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी असल अप्रार्थी सं० 2 द्वारा भरी अदालत में मिन प्रार्थी व उसके वकील साहब से एलानिया तौर पर कहा है कि प्रकरण में तुम्हारा कोई लेना देना नही है जल्द से जल्द बहस करो अन्यथा आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से प्रकरण का निस्तारण कर प्रार्थना पत्र को वादी अप्रार्थी सं० 1 के हक में स्थगन मंजूर कर देगा। तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी असल अप्रार्थी सं० 2 के कहने से उक्त प्रकरण की पत्रावली हर पेशी पर अन्य प्रकरणो की पत्रावली से अलग रखी जाती है। तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी असल अप्रार्थी सं० 2 द्वारा खुले न्यायालय में पूर्व मे ही अपने न्याय निर्णय का इजहार कर दिया है तथा असल अप्रार्थीगण सं० 1 ने तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी असल अप्रार्थी सं 02 से सांठ गांठ कर ली है असल अप्राथीगण सं० 1 को मिन प्राथी ने कई बार तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी असल अप्रार्थी सं० 2 के चैम्बर में आते जाते व चैम्बर के बाहर बैठे देखा है असल अप्रार्थी सं 01 ने भी विगत पेशी पर मिन प्रार्थी से अदालत परिसर व गांव में एलानिया तोर पर ऐसा कहा है कि उनकी तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी से बातचीत हो गयी है मुकदमा का फैसला उनके पक्ष में होगा तथा वह दरख्वास्त को अपन पक्ष में फैसल करा कर रहेगा। मिन प्रार्थी को पूरा भय व आंशका है कि असल अप्रार्थी सं0 1 तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी असल अप्रार्थी सं02 को निष्पक्ष न्याय करने में बाधा पैदा कर रहे है। उक्त वर्णित सूरत में न्याय हित में उक्त प्रकरण को तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ जिला अलवर से किसी अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना अति आवश्यक है। पूर्व में असल अप्राथी वादी भूपेन्द्र ने भी मुन्तकिली प्रार्थना पत्र बअनुवानी भूपेन्द्र बनाम बलराम प्रार्थना पत्र संख्या 15/36/2025 न्यायालय श्रीमान् में पेश किया था जो दिनांक 8–7–25 खारिज हो चुका है। वादी व प्रतिवादी दोनो ही पक्षकार उक्त मुकदमा को दीगर न्यायालय में मुन्तकिल करवाना चाहते है ऐसी सूरत में मुकदमा मुन्तकिल किया न्यायोचित है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मुंतकिली स्वीकार कर मुकदमा बअनुवांन भूपेन्द्र वादी बनाम बलराम व अन्य प्रतिवादीगण राजस्व वाद अर्न्तगत धारा 88, 89, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत इश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज बमय तकासमा आराजी बमय हुकम ईम्तनाई दवामी विचाराधीन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ जिला अलवर को दीगर न्यायालय मे मुन्तकिल किये जाने की कृपा करे।

अप्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान निवेदन किया गया है कि प्रार्थी द्वारा पीठासीन अधिकारी पर लगाये गये सभी आरोप झूठे और निराधार हैं। प्रार्थी अधिनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को अनावश्यक लंबित रखना चाहते हैं। प्रार्थीगण ने झूठे आरोप लगाकर खुद लाभ लेने का प्रयास किया है। आवेदन झूठे व गलत तथ्यों के साथ दाखिल किया गया है। इसलिए प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाना चाहिए। पीठासीन अधिकारी के द्वारा निष्पक्ष एवं विधि–अनुसार सुनवाई न्यायालय की जा रही है। अतः प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल खारिज फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन–मनन किया। उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ द्वारा अपने जवाब में टिप्पणी पेश कर अवगत कराया है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। इस न्यायालय में उक्त प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 का शीघ्र निस्तारण करने के उद्देश्य से प्रकरण में छोटी तारीख पेशी लगाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा मौजूदा मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र बेबुनियाद झूठे एवं मनगढंत तथ्यों के आधार पर महज प्रकरण को अनावश्यक देरी करने की नियत से पेश किया गया है। उक्त

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

प्रकरण के संबंध में न्यायालय श्रीमान के समक्ष पूर्व में भी इस एक मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है जो न्यायालय श्रीमान द्वारा खारिज कर दिया गया था जिसकी अपील प्रार्थी द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में मुन्तकिल प्रार्थना पेश किया गया है जिसमें भी माननीय न्यायालय द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना–पत्र खारिज किया गया है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी उक्त विचाराधीन प्रकरण को अनावश्यक लम्बित रखना चाहते हैं फिर भी उक्त प्रकरण को इस न्यायालय से किसी दीगर न्यायालय में स्थानान्तरित कर दिया जाये तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। प्रथम दृष्ट्या अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा मुंतकिल प्रा0पत्र के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति के शपथ–पत्र पेश नहीं किये गये है और ना ही प्रा0पत्र के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये गये है। जिससे प्रार्थी का प्रा0–पत्र मुंतकिल स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रा0पत्र मुंतकिल खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज.)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर, अलवर
राजस्थान

जिला कलक्टर
अलवर (राज.)